भारत सरकार

विद्‌युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-276

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

विद्‌युत उत्पादन के लिए कोयला तथा कार्बन की प्रचुर मात्रा वाले ईंधनों का प्रयोग करने के लिए अर्थ-दण्ड

***276. डॉ. वी. मैत्रेयनः**

क्या विद्‌युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कोयला तथा कार्बन की प्रचुर मात्रा वाले ईंधनों का प्रयोग करके विद्‌युत का उत्पादन करने के लिए, जिससे विश्व के पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कार्बन कणों का उत्सर्जन होता है, किसी अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण को अर्थ-दण्ड या शुल्क का भुगतान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत पांच वर्षों के दौरान ऐसे किसी अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण को सरकार या विद्‌युत संयंत्रों द्‌वारा वर्ष-वार कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(ग) धनराशि की किस प्रकार से गणना की जाती है; और

(घ) कोयला तथा कार्बन की प्रचुर मात्रा वाले अन्य ईंधनों का उपयोग कर विद्‌युत के उत्पादन को धीरे-धीरे कम तथा सीमित करने और वर्ष 2020 तक ऐसी विद्‌युत परियोजनाओं के स्थान पर वैकल्पिक तरीके विकसित करने के लिए सरकार द्‌वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्‌युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"विद्युत उत्पादन के लिए कोयला तथा कार्बन की प्रचुर मात्रा वाले ईंधनों का प्रयोग करने के लिए अर्थ-दण्ड" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 15.12.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 276 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

(घ) : भारत में प्रचुर मात्रा में घरेलू कोयला भंडार हैं। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, निकट भविष्य में भारत में कोयले पर आधारित उत्पादन विद्युत उत्पादन का मुख्य आधार बना रहेगा।

तथापि, कोयला आधारित विद्युत उत्पादन की दक्षता में सुधार लाने और विद्युत क्षेत्र के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

i) कुल ऊर्जा बास्केट में नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से को बढ़ाना।
ii) सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित कोयला आधारित विद्युत यूनिटों को बढ़ावा देना।
iii) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि के अंतर्गत परियोजनाओं को वित्त-पोषित करने के लिए कोयला उपकर को 50 रुपए प्रति टन से दोगुना करके 100 रुपए प्रति टन करना।
iv) अति-दक्ष उपकरणों के नियोजन सहित ऊर्जा दक्षता उपायों को तेज करना।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-278

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र

***278. श्री महेन्द्र सिंह माहराः**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्य-वार और स्थान-वार कितने ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किये जाने का विचार है;

(ख) क्या राज्यों द्वारा भूमि का आवंटन न किये जाने के कारण इन ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना नहीं की जा सकी है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) स्वीकृत/प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्रों की कब तक स्थापना कर दी जाएगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 15.12.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 278 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) से (घ) : कार्यान्वयनाधीन और 12वीं योजना अथवा उसके बाद शुरू किए जाने के लिए निर्धारित ताप विद्युत परियोजनाओं की राज्यवार एवं क्षेत्रवार सूची अनुबंध में दी गई है जिसमें उनके अनुमानित रूप से चालू होने के कार्यक्रम और भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों सहित उनके सामने आई विभिन्न समस्याएं शामिल हैं।

कोयला, लिग्नाइट और गैस आधारित संयंत्रों को शामिल करते हुए 12वीं योजना में ताप क्षमता अभिवृद्धि हेतु 72,340 मेगावाट का लक्ष्य है। इसकी तुलना में, 47,163 मेगावाट नवंबर, 2014 तक पहले ही शुरू की जा चुकी है। 12वीं योजना में कुल ताप क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य से अधिक होने की उम्मीद है।

****

<u>अनुबंध</u>

"प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 15.12.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 278 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में दिए गए विवरण में उल्लिखित अनुबंध।

****

कार्यान्वयनाधीन और 12वीं योजना एवं उसके पश्चात चालू होने की संभावना वाली ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा					
राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का प्रत्याशित सूची	मुद्दे
असम	केंद्रीय क्षेत्र				
	बोंगाईगांव टीपीपी	यू-1	250	जून-15	निरंतर बंद, भारी वर्षा और धीमा सिविल कार्य। भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब। वर्ष 2011-12 के दौरान हिंसा तथा स्थल से श्रमिकों के पलायन के कारण कार्य रूक गया। सिविल ठेकेदारों द्वारा खराब निष्पादन के कारण सिविल कार्य प्रभावित हुआ जिसके परिणामस्वरूप उनका ठेका निरस्त कर दिया गया। रेलवे साइडिंग के लिए शेष भूमि का अधिग्रहण।
		यू-2	250	16-17	
		यू-3	250	16-17	
	राज्य क्षेत्र				
	नामरूप सीसीजीटी	जीटी	70	सितं.-15	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब और सिविल कार्यों की मंद प्रगति, सिविल ठेकेदारों की सेवा समाप्ति। खराब मृदा तथा भारी वर्षा। भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब और दक्ष जनशक्ति की कमी। एनबीपीएल आदेश की समाप्ति। सिविल एवं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तथा इंस्ट्रूमेंटेशन एजेंसी को पुनःअवार्ड करने में विलंब।
		एसटी	30	दिसं.-15	
	उप जोड़		850		
आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र				
	दामोदरम संजीव्याह टीपीएस	यू-2	800	जन.-15	सिविल कार्यों के शुरू होने तथा आपूर्तियों में देरी के कारण विलंब। बाहरी सीएचपी, आरडब्ल्यूपीएच और सीटी के निर्माण में विलंब। पारेषण लाइन की उपलब्धता में विलंब। संयंत्र से लीलोप्वाइंट तक पारेषण लाइन का कार्य आरओडब्ल्यू समस्या के कारण रोक दिया गया है।
	रायलसीमा टीपीपी स्टे -III	यू-6	600	दिसं.-16	सिविल एवं भूमि अधिग्रहण कार्य को प्रारंभ करने और पूरा करने में विलंब।
	निजी क्षेत्र				
	भावनापडु टीपीपी फेज-I	यू-1	660	मार्च-17	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश के कारण कार्य लंबे समय तक रूका रहा। कार्य पुनः प्रारंभ करने के पश्चात दो चक्रवातों के कारण कार्य प्रभावित हुआ। राज्य विभाजन के विरूद्ध आन्दोलन।
		यू-2	660	अक्तू.-17	
	एनसीसी टीपीपी	यू-1	660	अप्रैल-16	सिविल कार्यों के शुरू होने तथा मंद प्रगति के कारण विलंब। वित्तीय कठिनाई के कारण सामग्री आपूर्ति एवं इरेक्शन में विलंब।
		यू-2	660	अग.-16	
	पैनमपुरम टीपीपी	यू-1	660	दिसं.-14	टीजी सिविल कार्य प्रारंभ करने में विलंब। मृदा मुद्दों के कारण नींव डिजाइन में परिवर्तन के कारण

					विलंब।
		यू-2	660	मार्च-15	
	सिम्हापुरी एनर्जी प्रा. लि. फेज-II	यू-4	150	जन.-15	परियोजना के चरण-I के चालू होने में विलंब और टीजी, सीएचपी तथा रीफ्रेक्टरी सामग्री तथा एमएस डिफ्यूजर की आपूर्ति में विलंब।
	थम्मिनापट्टनम टीपीपी स्टेज -II	यू-3	350	अग.-16	सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। वित्तीय समस्या के कारण स्थल पर कार्य लंबे समय तक बंद पड़ा रहा।
		यू-4	350	नवं.-16	
	विजाग टीपीपी	यू-1	525	मार्च-15	स्टार्टअप पावर के लिए पारेषण लाइन की तैयारी में विलंब। सिविल कार्य, समुद्री जल इनटेक तथा आउटफाल सिस्टम, सीएचपी आदि की धीमी प्रगति। रेलवे लाइन की तैयारी में विलंब। साइक्लोन के कारण हुई क्षति के कारण विलंब। रेलवे लाइन के लिए शेष भूमि का अधिग्रहण।
		यू-2	525	अग.-15	
	यूएमपीपी				
	कृष्णापट्टनम यूएमपीपी (कोस्टल आंध्र पावर लिमिटेड-सीएपीएल)	यू-1 से 6	3960	13वीं योजना	एपीएसपीडीसीएल के दिनांक 15.3.2012 के पत्र के द्वारा सीएपीएल को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया। जिसमें कहा गया कि त्रुटियों एवं प्रत्याशित उल्लंघन के कारण प्रापणकर्ता ने, और कोई विकल्प न होने पर एक साथ यह निर्णय किया है और करार को समाप्त करने का विकल्प का चयन किया है और यह इस नोटिस की प्राप्ति के 7वें दिन से प्रभावी होगा। सीएपीएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। एपीएसपीडीसीएल ने अपने दिनांक 20.4.2012 के पत्र के द्वारा सूचित किया है कि प्रापणकर्ता ने 16.4.2012 को प्रति शपथपत्र दायर किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2.7.2012 को सीएपीएल की याचिका को खारिज कर दिया है। सीएपीएल ने डिवीजन बैंच, दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है और साथ ही माध्यस्थम के लिए भारतीय माध्यस्थ परिषद में भी मामला दायर किया है। विकासकर्ता ने सीईआरसी के समक्ष भी याचिका दायर की है। आईसीए द्वारा मामले को उच्च न्यायालय द्वारा याचिका के निपटान होने तक मुल्तबी रखा गया है। सीईआरसी ने 6.6.2013 को निदेश दिया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के पश्चात इस मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा।
	उप जोड़		11220		
बिहार	केंद्रीय क्षेत्र				
	बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-1	660	17-18	पावर मशीन और टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट, रूस के साथ एनटीपीसी के विवाद के कारण विलंब। *मूल अनुसूची 2009-10 और 2010-11 में थी। वित्तीय कठिनाईयों के कारण मैसर्स टीपीई द्वारा बायलर सामग्री की आपूर्ति में और खरीदी गई सामग्री (बीओआई) आदेश देने में विलंब। मैसर्स टीपीई और मैसर्स पावर मशीन, रूस द्वारा स्थल पर कार्य की धीमी प्रगति।
		यू-2	660	17-18	
		यू-3	660	18-19	
	बाढ़ एसटीपीपी-II	यू-5	660	मार्च-15	भेल द्वारा आपूर्ति में विलंब। सीएचपी की तैयारी और टी-23 वैल्डिंग ज्वाइंट्स को पूरा करने में विलंब।
	मुजफ्फरपुर टीपीपी एक्सपैं.	यू-3	195	मार्च-15	मुख्य संयंत्र सिविल कार्य अवार्ड करने में विलंब। सिविल कार्यों को पूरा करने में विलंब। भूमि

					अधिग्रहण में विलंब तथा कच्चा जल लाइन के लिए राइट ऑफ एप्रोच (आरओए) की उपलब्धता में विलंब। सीएचपी, एएचपी एवं स्विचयार्ड की तैयारी में विलंब। कच्चा जल पाइपलाइन के लिए भूमि अधिग्रहण एवं राइट ऑफ एप्रोच (आरओए) की उपलब्धता।
		यू-4	195	सितं.-15	
	नबीनगर टीपीपी	यू-1	250	सितं.-15	भूमि अधिग्रहण में विलंब। मुख्य संयंत्र सिविल एजेंसी मैसर्स ईआरए द्वारा धीमी गति से कार्य जिससे निर्माण एजेंसियों को सिविल फ्रंट सौंपने में विलंब हुआ। भेल द्वारा उपस्करों की आपूर्ति। गांववासियों द्वारा आन्दोलन। लोगों द्वारा मुआवजे को ग्रहण करने की अनिच्छा के कारण भूमि के कुछ टुकड़ो का अधिग्रहण नहीं किया जा सका। सीएचपी बैंडर (टैक्प्रो) द्वारा झेली जा रही वित्तीय कठिनाई।
		यू-2	250	मार्च-16	
		यू-3	250	सितं.-16	
		यू-4	250	अप्रैल-17	
	न्यू नबीनगर टीपीपी	यू-1	660	जून-17	शेष भूमि का अधिग्रहण तथा वासक्षेत्र का स्थान परिवर्तन, जो अभी भी परियोजना क्षेत्र में है।
		यू-2	660	सितं.-17	
		यू-3	660	जन.-18	
	राज्य क्षेत्र				
	बरौनी टीपीएस एक्सटें.	यू-1	250	अक्तू.-15	सीटी, सीडब्ल्यू प्रणाली आदि की तैयारी में विलंब। राखकुंड एवं कच्चा जल प्रणाली के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब।
		यू-2	250	दिसं.-15	
	निजी क्षेत्र				
	जस इंफ्रा. टीपीएस	यू-1	660	13वीं योजना	स्थल पर कोई कार्य नहीं चल रहा है।
		यू-2	660	13वीं योजना	
		यू-3	660	13वीं योजना	
		यू-4	660	13वीं योजना	
	उप जोड़		9150		
छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र				
	मारवा टीपीपी	यू-2	500	मार्च-15	आरम्भिक विलंब चिमनी अवार्ड किए जाने में परिवर्तन के कारण हुआ था। बोओपी(सीएचपी, एएचपी और 400 केवी स्विचयार्ड आदि) की तैयारी में विलंब और कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं, सामग्री आदि की चोरी। जनशक्ति की कमी।
	निजी क्षेत्र				
	अकलतारा टीपीपी (नैयारा)	यू-3	600	नवं.-15	जनशक्ति की कमी, ग्रामीणों द्वारा आन्दोलन, वित्तीय समस्या के कारण सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
		यू-4	600	जुलाई-16	
		यू-5	600	दिसं.-16	
		यू-6	600	अप्रैल-17	
	बारादरहा टीपीपी	यू-2	600	मार्च-15	सीएचपी एंड एएचपी, मिल्स की तैयारी में विलंब। जेनेरेटर स्टेटर आदि की समस्याओं के कारण विलंब। अंगोपयोगकृत/गुम हुई सामग्रियों की आपूर्ति में विलंब।
	बाल्को टीपीपी	यू-1	300	अप्रैल-15	चिमनी का टूटना। राज्य सरकार से प्रचालन हेतु सहमति जारी करने में विलंब।
		यू-2	300	जून-15	

	बंदाखार टीपीपी	यू-1	300	फर.-15	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब। वित्तीय समस्याओं के कारण कार्य प्रभावित हुआ। सीएचपी/एएचपी की तैयारी में विलंब और जेनरेटर स्टेटर में समस्या।
	बिंजकोट टीपीपी	यू-1	300	जून-15	सिविल कार्यों का देरी से शुरू होना। बायलर ड्रम की आपूर्ति में देरी। एसटीजी इरेक्शन एजेंसियों के परिवर्तन के कारण बॉयलर एवं टीजी के लिए इरेक्शन कार्य को रोके जाने के कारण विलंब। राखकुंड के लिए शेष भूमि अधिग्रहण।
		यू-2	300	सितं.-15	सिविल कार्यों का देरी से शुरू होना। प्रेशर पार्ट इरेक्शन की धीमी प्रगति। राखकुंड के लिए शेष भूमि अधिग्रहण।
		यू-3	300	17-18	कार्य अभी शुरू होना है।
		यू-4	300	17-18	कार्य अभी शुरू होना है।
	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II	यू -3	660	17-18	जल प्रणाली के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब। इस समय वित्तीय समस्याओं के कारण स्थल पर कोई कार्य नहीं चल रहा है।
		यू -4	660	17-18	
	रायखेडा टीपीपी	यू -1	685	जनवरी-15	सिविल कार्य प्रारंभ करने में विलंब। वित्तीय समस्याओं के कारण कुछ समय तक विभिन्न कार्यों की प्रगति प्रभावित हुई।
		यू -2	685	जुलाई-15	
	सिंघितराई टीपीपी	यू -1	600	दिसंबर-15	भूमि अधिग्रहण में विलंब। बॉयलर एवं टीजी की स्थापना का कार्य धीमी गति पर है। वित्तीय समस्याओं के कारण विलंब।
		यू -2	600	जून-16	
	स्वास्तिक टीपीपी	यू -1	25	मार्च-15	बीओपी को तैयार करने में विलंब । सीएचपी वेंडर्स एंड रिफ्रेक्टरी वर्क के साथ वाणिज्यिक विवाद एवं सुपर हीटर कॉयल में खराबी के कारण विलंब। 132 केवी पूलिंग उपकेंद्र की भूमि सीएसआईडीसी से सीएसपीटीसीएल को अंतरित करने के कारण स्टार्ट अप पावर प्राप्त करने में विलंब।
	टीआरएन एनर्जी टीपीपी	यू -1	300	जुलाई-15	सिविल कार्य प्रारंभ करने में विलंब। बॉयलर एवं टीजी के स्थापना कार्य में धीमी गति । जनशक्ति की कमी।
		यू -2	300	दिसंबर-15	
	उचपींडा टीपीपी	यू -1	360	अप्रैल-15	ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन के कारण कार्य प्रभावित हुआ। स्थल पर कार्य की धीमी गति। बीओपी को तैयार करने में विलंब। स्टार्ट अप पावर को तैयार करने में विलंब। वित्तीय समस्या के कारण विलंब। राखकुंड एवं रेलवे साईडिंग के लिए शेष भूमि अधिग्रहण।
		यू -2	360	जून-15	
		यू -3	360	सितंबर-15	
		यू -4	360	मार्च-16	
	सलोरा टीपीपी	यू -2	135	मार्च-15	यूनिट-I को चालू करने में विलंब। ग्रामीणों द्वारा स्थल पर विरोध प्रदर्शन। बीटीपी एवं सीएचपी सामग्री की आपूर्ति में विलंब। बीटीजी आपूर्तिकर्ता द्वारा चालू करने संबंधी कार्यों में असहयोग।
	वीसा टीपीपी	यू-1	600	17-18	एएचपी, अग्नि सुरक्षा प्रणाली, एसी एवं वेंटलेशन प्रणाली, एलटी/एचटी स्विचगीयर, केबल्स, वायु संपीड़क, एलटी ट्रांसफार्मर स्टेशन ट्रांसफार्मर, जीटी एण्ड यूनिट ट्रांसफार्मर का आदेश अभी तक नहीं

					दिया गया । रेलवे साईडिंग के लिए भूमि अधिग्रहण लंबित है। 67 एकड़ भूमि के लिए पट्टाविलेख। वित्तीय समस्या के कारण कार्य रूका हुआ है।
	उप जोड़		12290		
गुजरात	राज्य क्षेत्र				
	सिक्का टीपीपी एक्सटे.	यू-3	250	मार्च-15	सिविल फ्रण्ट्स की तैयारी तथा बीओपी आदेश देने में विलंब। बॉयलर एण्ड टीजी की स्थापना में धीमी प्रगति। बीओपी में धीमी प्रगति। बीटीजी स्थापना एजेंसी में परिवर्तन। भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब। एचपी वेल्डर्स की कमी।
		यू-4	250	जून-15	
	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	यू-1	250	मार्च-15	सिविल कार्य में विलंब तथा गैर-क्रमिक आपूर्ति। बीओपी में धीमी प्रगति। एएचपी तथा लिग्नाइट हैंडलिंग संयंत्र की तैयारी में विलंब।
		यू-2	250	जून-15	
	उप जोड़		1000		
झारखंड	केंद्रीय क्षेत्र				
	बोकारो टीपीएस "ए" एक्सप.	यू-1	500	सितंबर-15	भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब। स्विचयार्ड के स्थान परिवर्तन तथा भूमिगत सुविधाओं को हटाने में विलंब के कारण भेल को फ्रंट्स सौंपने में विलंब। मूल्य अंतर मुद्दों का समाधान करने में विलंब। सीएचपी की तैयारी।
	निजी क्षेत्र				
	मैत्रिषी उषा टीपीपी फेज-I	यू-1	270	17-18	कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या। बीटीजी उपकरण की आपूर्ति में विलंब। वन स्वीकृति के कारण पारेषण लाइन की तैयारी में विलंब। वित्तीय समस्याओं के कारण नवंबर 12 से कार्य रूका है।
		यू-2	270	17-18	
	मैत्रिषी उषा टीपीपी फेज -II	यू-3	270	18-19	कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या। बीटीजी सामग्री की आपूर्ति में विलंब। वित्तीय समस्याओं के कारण स्थल पर कार्य रूका। तेरहवीं योजना में जा सकती है।
		यू-4	270	18-19	
	टोरी टीपीपी	यू-1	600	अप्रैल-17	कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या। सिविल कार्य प्रारंभ करने में विलंब तथा कार्य की धीमी प्रगति। यूनिट-2 के लिए एमओईएफ स्वीकृति में विलंब।
		यू-2	600	अक्टूबर-17	
	यूएमपीपी				
	तिलैया यूएमपीपी	यू-1 से 6 तक	3960	13वीं योजना	भूमि अधिग्रहण एवं प्रारंभिक कार्य प्रक्रियाधीन हैं।
	उप जोड़		6740		
कर्नाटक	केंद्रीय क्षेत्र				
	कुडगी एसटीपीपी फेज-I	यू-1	800	मई-16	एसजी सिविल कार्यो को अवार्ड करने में विलंब। टीजी निर्माण की शुरुआत में विलंब। 03/14 में एनजीटी आदेश के कारण कार्य बंदी। जनशक्ति के निष्क्रमण से 07/14 में आक्रोश और हिंसा।
		यू-2	800	अगस्त-16	
		यू-3	800	दिसंबर-16	
	राज्य क्षेत्र				
	बेल्लारी टीपीएस	यू-3	700	नवंबर-15	मुख्य संयंत्र और बीओपी के लिए सिविल संविदा अवार्ड करने में विलंब। सीएचपी एवं एएचपी अवार्ड करने में विलंब। एएचपी विक्रेता और भेल के बीच विवाद। एलपी रोटर की आपूर्ति में विलंब।

	येरमारस टीपीपी	यू-1	800	जुलाई-15	प्लॉट योजना में परिवर्तन और विशिष्ट क्षेत्रों में अतिरिक्त मृदा जांच और तृतीय पक्ष के निरीक्षण के कारण मृदा जांच की पुनरावृत्ति।
		यू-2	800	नवंबर-15	
	उप जोड़		4700		
महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र				
	चंद्रपुर टीपीएस	यू-8	500	मार्च-15	बीओपी ऑर्डर देने में विलंब और मुख्य संयंत्र उपकरण आपूर्ति में विलंब। बीओपी की तैयारी में विलंब और भारी वर्षा।
		यू-9	500	जुलाई-15	
	कोराडी टीपीपी एक्सपे.	यू-8	660	मार्च-15	सिविल कार्यों में विलंब। भारी वर्षा के कारण कार्य की प्रगति में विलंब। वित्तीय संकट के कारण मैसर्स लेंको इंफ्राटेक द्वारा बीओपी (कूलिंग टावर, एएचपी, सीएचपी इत्यादि) की तैयारी में विलंब।
		यू-9	660	जुलाई-15	
		यू-10	660	फरवरी-16	
	पार्ली टीपीपी एक्सपे.	यू-8	250	मार्च-15	बीटीजी आपूर्ति में विलंब। रेखाचित्रों के अनुमोदन में विलंब। धीमा निर्माण कार्य बीओपी में धीमी प्रगति। मैसर्स सुनील हाइटेक के साथ वाणिज्यिक विवाद।
	निजी क्षेत्र				
	अमरावती टीपीपी फेज-I	यू-3	270	फरवरी-15	बीटीजी सामग्री की गैर क्रमबद्ध आपूर्ति। सिविल कार्यों की आपूर्ति में विलंब। भेल के साथ भुगतान का मामला। इंसुलेशन एप्लीकेशन में विलंब। एचएफओ, सीएचपी एवं एएचपी की तैयारी में विलंब। बॉयलर इरेक्शन एजेंसी को पुनःअवार्ड करना। रेलवे साइडिंग की तैयारी।
		यू-4	270	जून-15	
		यू-5	270	सितंबर-15	
	अमरावती टीपीपी फेज-II	यू-1	270	13वीं योजना	वित्तीय समस्याओं के कारण स्थल पर कोई कार्य नहीं चल रहा है।
		यू-2	270	13वीं योजना	
		यू-3	270	13वीं योजना	
		यू-4	270	13वीं योजना	
		यू-5	270	13वीं योजना	
	लैंको विदर्भ टीपीपी	यू-1	660	18-19	वित्तीय समस्याओं के कारण स्थल पर कोई कार्य नहीं चल रहा है।
		यू-2	660	18-19	
	नासिक टीपीपी फेज-I	यू-2	270	जनवरी-15	रेलवे साइडिंग की तैयारी में विलंब। बीटीजी सामग्री की आपूर्ति और सिविल कार्यों की तैयारी में गैर क्रमबद्धता। भेल के साथ भुगतान का मामला। मिलों, एचएफओ, सीएचपी एवं एएचपी, इंसुलेशन डक्टिंग इत्यादि की तैयारी।
		यू-3	270	जून-16	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा बीटीजी सामग्री को अस्वीकार करना। वित्तीय समस्याओं के कारण स्थल पर कोई कार्य नहीं चल रहा है।
		यू-4	270	सितंबर-16	
		यू-5	270	मार्च-17	
	नासिक टीपीपी फेज-II	यू-1	270	13वीं योजना	वित्तीय समस्याओं के कारण स्थल पर कोई कार्य नहीं चल रहा है। 13वीं योजना में जा सकता है।
		यू-2	270	13वीं योजना	
		यू-3	270	13वीं योजना	
		यू-4	270	13वीं योजना	
		यू-5	270	13वीं योजना	

	उप योग		9140		
मध्य प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र				
	विंध्याचल टीपीपी फेज-V	यू-13	500	अक्तूबर-15	बीओपी ऑर्डर में विलंब। बॉयलर सामग्री के इरेक्शन में विलंब।
	गदरवारा एसटीपीपी	यू-1	800	जून-17	शेष भूमि अधिग्रहण और शेष बीओपी के ऑर्डर में विलंब।
		यू-2	800	नवंबर-17	
	निजी क्षेत्र				
	अनूपपुर टीपीपी फेज-I	यू-1	600	जनवरी-15	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब और धीमी प्रगति। ड्रम की आपूर्ति में विलंब। बॉयलर और ईएसपी इंसुलेशन की तैयारी।
		यू-2	600	जुलाई-15	
	महान टीपीपी	यू-2	600	जून-15	कोयला ब्लॉक के विकास में विलंब।
	निगरी टीपीपी	यू-2	660	फरवरी-15	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब। एसीडब्ल्यू सिस्टम की तैयारी में विलंब। पारेषण लाइन की तैयारी में विलंब।
	गोरगी टीपीपी	यू-1	660	18-19	मुख्य संयंत्र उपस्कर के लिए अब तक ऑर्डर नहीं दिया गया है।
	सिओनी टीपीपी फेज-I	यू-1	600	अप्रैल-15	सिविल कार्यों की तैयारी में विलंब। चिमनी की तैयारी। वित्तीय समस्या के कारण बॉयलर और टीजी सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
	उप जोड़		5820		
ओडिशा	निजी क्षेत्र				
	देरांग टीपीपी	यू-2	600	जनवरी-15	यूनिट-I के चालू होने में विलंब। कानून एवं व्यवस्था की समस्या। भूमि अधिग्रहण में विलंब। ग्रामवासियों द्वारा विरोध।
	इंड भारत टीपीपी (उड़ीसा)	यू-1	350	मार्च-15	भारी वर्षा के कारण विलंब। विद्युत आपूर्ति की शुरुआत करने के लिए पारेषण लाइन की तैयारी में विलंब। 3 किलोमीटर शेष भूमि का अधिग्रहण, जो रेलवे लाइन के लिए खनन क्षेत्र में आती है।
		यू-2	350	जून-15	
	केवीके नीलांचल टीपीपी	यू-1	350	जून-16	प्रारंभ में चिमनी स्वीकृति तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्या के कारण विलंब हुआ। माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन के कारण कार्य रोक दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने 20.05.2014 को कार्य शुरू करने के लिए आदेश दे दिया है। कार्य को पुनः शुरू करने में विलंब।
		यू-2	350	17-18	
		यू-3	350	17-18	
	लैंको बाबंध टीपीपी	यू-1	660	17-18	भूमि अधिग्रहण में विलंब। वित्तीय समस्याओं के कारण स्थल पर कोई कार्य नहीं चल रहा है।
		यू-2	660	17-18	
	मलीब्राहमणी टीपीपी	यू-1	525	मई-15	भूमि अधिग्रहण में विलंब और टीजी हॉल संरचना की आपूर्ति में विलंब। वित्तीय समस्या के कारण धीमी प्रगति।
		यू-2	525	दिसंबर-15	
	उप जोड़		4720		
पंजाब	निजी क्षेत्र				
	गोइंदवाल साहिब	यू-1	270	जून-15	सीएचपी एवं एएचपी की तैयारी में विलंब। रेलवे लाइन की तैयारी में विलंब। वित्तीय समस्याओं के कारण स्थल पर कोई कार्य नहीं चल रहा है।
		यू-2	270	सितंबर-15	
	तलवंडी सबो टीपीपी	यू-2	660	मार्च-15	सिविल कार्यों की तैयारी में विलंब। जनशक्ति की

					कमी के कारण एएचपी, चिमनी मिल, कूलिंग टॉवर की तैयारी में विलंब। भारी वर्षा के कारण बॉयलर इंसुलेशन कार्य में विलंब हुआ।
		यू-3	660	जून-15	
	उप जोड़		1860		
राजस्थान	राज्य क्षेत्र				
	कालीसिंध टीपीएस	यू-2	600	जनवरी-15	बंकरों और कोयला मिलों के इरेक्शन में और मैसर्स बीजीआर द्वारा शेष सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
	छाबड़ा एसटीपीपी	यू-5	660	अप्रैल-17	बॉयलर इरेक्शन के कारण धीमी प्रगति।
	सूरतगढ़ एसटीपीपी	यू-7	660	अप्रैल-17	बॉयलर इरेक्शन के कारण धीमी प्रगति।
		यू-8	660	जुलाई-17	बॉयलर इरेक्शन के कारण धीमी प्रगति।
	उप जोड़		2580		
तमिलनाडु	केंद्रीय क्षेत्र				
	नैवेली टीपीएस-II एक्सपे.	यू-2	250	अगस्त-15	यू-I बॉयलर में किए गए बड़े परिवर्तनों के कारण यूनिट-I की सीओडी घोषणा में विलंब। यू-I के अनुसार यू-II में इसी तरह का परिवर्तन किया गया है और 23.11.2014 यू-II को सिंक्रोनाइज्ड किया गया। वर्तमान में समस्याओं का समाधान करने के कारण यह यूनिट बंद है।
	तूतीकोरन जेवी	यू-1	500	फरवरी-15	मुख्य संयंत्र उपस्करों के बुनियादी डिजाइन में परिवर्तन। सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। जनशक्ति की कमी। पेय जल की उपलब्धता और विद्युत आपूर्ति में विलंब। वैधानिक स्वीकृतियां (वन्य जीव, वन स्वीकृति इत्यादि) प्राप्त होने में विलंब। राख कुंड के लिए शेष भूमि का अधिग्रहण।
		यू-2	500	मई-15	
	निजी क्षेत्र				
	मेलामारुथुर टीपीपी	यू-2	600	जून-15	मुख्य संयंत्र उपस्कर की आपूर्ति में विलंब। जनशक्ति की कमी के कारण और स्विच यार्ड एवं डीएम संयंत्र की तैयारी में विलंब। रेत की आपूर्ति और भूमिगत जल के उपयोग के लिए नीति में परिवर्तन। बैंकरों द्वारा अतिरिक्त ऋण संवितरण में विलंब।
	तूतीकोरन टीपीपी (इंड-बराथ)	यू-1	660	सितंबर-17	सिविल कार्यों की देरी से शुरुआत और धीमी प्रगति तथा स्थल पर बॉयलर संरचनात्मक सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
	उप जोड़		2510		
तेलंगाना	राज्य क्षेत्र				
	काकातिया टीपीपी एक्स.	यू-1	600	दिसंबर-15	बीओपी ऑर्डर देने, बॉयलर एवं ईएसपी की नींव सौंपने और बॉयलर इरेक्शन एजेंसी के अवार्ड में विलंब। बीओपी संघ नेता के बदलने के कारण विलंब।
	सिंगरेनी टीपीपी	यू-1	600	नवंबर-15	बीओपी ऑर्डर देने में विलंब।
		यू-2	600	मार्च-16	
	उप जोड़		1800		
त्रिपुरा	केंद्रीय क्षेत्र				
	मोनार्चक सीसीपीपी	जीटी	61.3	अप्रैल-15	सिविल कार्य संविदा के अवार्ड में और भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब। भारी वर्षा। गैस पाइपलाइन और गैस गैदरिंग स्टेशन तैयारी में विलंब।
		एसटी	39.7	जून-15	
	उप जोड़		101		
उत्तर प्रदेश	केंद्रीय क्षेत्र				
	ऊंचाहार स्टे.- IV	यू-6	500	जून-17	मुख्य संयंत्र सिविल कार्य पैकेज और बीओपी अवार्ड करने में विलंब।

	मेजा एसटीपीपी	यू-1	660	जून-16	मैसर्स बीजीआर द्वारा बॉयलर सामग्री की आपूर्ति में विलंब। मुख्य संयंत्र सिविल कार्यों की धीमी प्रगति।
		यू-2	660	जून-17	
	राज्य क्षेत्र				
	अनपरा-डी	यू- 6	500	मार्च-15	बीओपी के लिए ऑर्डर देने में विलंब। फायर फाइटिंग कार्यों की अत्यंत धीमी प्रगति। भेल द्वारा अपर्याप्त जनशक्ति परिनियोजन। एएचपी, सीडब्ल्यू प्रणाली में कार्य की धीमी प्रगति।
		यू-7	500	अगस्त-15	
	निजी क्षेत्र				
	प्रयागराज (बारा) टीपीपी	यू-1	660	जुलाई-15	बीजीटी आपूर्ति में विलंब। स्टार्ट अप पावर के लिए कच्चा पानी पाइप लाइन की तैयारी और पारेषण लाइन की तैयारी में विलंब। वित्तीय समस्याओं के कारण स्थल पर कार्य की प्रगति में विलंब हुआ। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा रेलवे साइडिंग के लिए भूमि अभी परियोजना को सौंपी जानी है।
		यू-2	660	दिसंबर-15	
		यू-3	660	मार्च-16	
	ललितपुर टीपीपी	यू-1	660	मार्च-15	भारी वर्षा के कारण विलंब टीजी इरेक्शन स्टार्ट में विलंब, बॉयलर इंसुलेशन और ईंधन प्रणाली तैयारी आदि में विलंब। वित्तीय समस्याएं।
		यू-2	660	जून-15	
		यू-3	660	दिसंबर-15	
	उप जोड़		6780		
पश्चिम बंगाल	केंद्रीय क्षेत्र				
	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-I	यू-2	600	जून-15	यूनिट-I के चालू होने में विलंब। जल और रेल कॉरीडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब। आरआईएल द्वारा मुख्य संयंत्र उपस्करों के इरेक्शन में विलंब। कानून एवं व्यवस्था की समस्या। स्थानीय लोगों द्वारा बार-बार कार्यबंदी। बॉटम रिंग हेडर को बदलना। बॉयलर इंसुलेशन की क्षति के कारण विलंब।
	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-II	यू-3	660	अक्तूबर-18	मुख्य संयंत्र सिविल कार्यों को शुरू करने में विलंब।
		यू-4	660	मार्च-19	
	राज्य क्षेत्र				
	सागरदीघी टीपीपी-II	यू-3	500	जून-15	निर्माण और बीटीजी सामग्री की आपूर्ति की धीमी प्रगति। इलेक्ट्रिकल इरेक्शन कार्य के लिए ऑर्डर देने में विलंब। एएचपी की धीमी प्रगति। रॉ वाटर लाइन और रेलवे साइडिंग के लिए शेष भूमि अधिग्रहण।
		यू-4	500	सितंबर-15	
	निजी क्षेत्र				
	हल्दिया टीपीपी	यू-1	300	दिसंबर-14	विद्युत निकासी प्रणाली की तैयारी में विलंब।
		यू-2	300	मार्च-15	
	उप जोड़		3520		
	कुल		84781		
चालू होने के लिए तैयार गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं					
आंध्र प्रदेश					
	निजी क्षेत्र				
	जीएमआर वेमागिरि एक्स.	--	768	--	परियोजनाएं चालू होने के लिए तैयार हैं, लेकिन गैस की उपलब्धता न होने के कारण चालू नहीं हो सकीं।
	कोंडापल्ली एक्स. स्टे.-III	--	742	--	
	सामलकोट एक्स.	--	2400	--	
	पांडुरंगा द्वारा सीसीजीटी	--	116	--	
	आस्था द्वारा गैस इंजन	--	35	--	

	उप जोड़		4061		
उत्तराखंड					
	निजी क्षेत्र				
	काशीपुर श्रावन्थी स्टे.-I व II	--	450	--	
	बीटा इंफ्राटेक सीसीजीटी	--	225	--	
	गामा इंफ्रा प्रो. सीसीजीटी	--	225	--	
	उप जोड़		900		
महाराष्ट्र					
	निजी क्षेत्र				
	पायोनियर गैस पावर लि. द्वारा सीसीजीटी	--	388	--	
	उप जोड़		388		
	कुल		5349		

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2422

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत उपभोक्ताओं के लिए कम मूल्य में
एल.ई.डी. बल्ब

2422. श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय द्वारा देश के विद्युत उपभोक्ताओं को कम मूल्य में एल.ई.डी. बल्ब मुहैया कराने हेतु उपक्रम शुरू करने का विचार रखा है;

(ख) क्या इस संबंध में मंत्रालय ने विद्युत वितरण और एल.ई.डी. बल्ब बनाने वाली कंपनियों से विचार विमर्श किया है;

(ग) क्या मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी (बी.ई.ई.) और एनर्जी एफिशियन्सी सर्विस लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम चलाया जाना है;

(घ) विद्युत उपभोक्ताओं को कब तक और कितने मूल्य में एल.ई.डी. बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त उद्देश्य के लिए अपनी आर्थिक भरपाई के लिए कोई अलग स्रोत निकाला है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च) : एलईडी बल्बों की आपूर्ति किए जाने के लिए मंत्रालय द्वारा किसी उपक्रम को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विद्युत मंत्रालय के 4 पीएसयू अर्थात नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी), पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) तथा पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) की संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) अभिनव मांग पक्ष आधारित दक्ष प्रकाश-व्यवस्था कार्यक्रम (डीईएलपी) कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को तापदीप्त बल्बों के प्रतिस्थापन के रूप में, उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी लैंप 10/- रुपए प्रति लैंप की दर पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। संपूर्ण अग्रिम लागत का निवेश ईईएसएल द्वारा किया जाता है तथा इसका भुगतान वितरण कंपनी द्वारा 5-10 वर्ष की अवधि में बचाई गई मुद्रीकृत ऊर्जा में किया जाता है, जो विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित है। विद्युत वितरण कंपनियों के उपभोक्ताओं को ये एलईडी बल्ब वितरण कंपनी, राज्य सरकार एवं विनियामक आयोग द्वारा कार्यक्रम अनुमोदित किए जाने के पश्चात ही उपलब्ध करवाए जाते हैं। ईईएसएल ऐसी परियोजनाएं पुडुचेरी तथा आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित कर रही है। यह कार्यक्रम वित्तीय रूप से लंबे समय तक चलने वाला है तथा इसे केंद्रीय या राज्य निधियों से किसी प्रकार के बाहरी वित्तपोषण की आवश्यकता नहीं है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2423

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

चौबीस घंटे विद्युत की आपूर्ति

2423. श्री अविनाश राय खन्नाः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक घर, कारखाने और फार्म को चौबीस घंटे विद्युत प्रदान करने हेतु राज्यों के साथ परामर्श करके एक विस्तृत रूपरेखा का प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने आपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय निधियन एजेंसियों से मदद मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए एक संयुक्त पहल की है। इसकी शुरुआत करने के लिए आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार किए गए हैं और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में राज्य विशिष्ट दस्तावेजों को तैयार करने के लिए कार्रवाई की गई है।

(ग) और (घ) : सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत उपलब्ध कराने की कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान भी की जाएगी, जहां पर इसके कार्यान्वयन के लिए निधियों की आवश्यकता होगी, यदि आवश्यक हुआ तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों से सहायता की मांग की जा सकती है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2424

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु को विद्युत की आपूर्ति

2424. डॉ. आर. लक्ष्मणनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'एक राष्ट्र-एक ग्रिड-एक फ्रीक्वेंसी' की लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली 765 किलोवाट की क्षमता वाली रायचुर-शोलापुर डबल ट्रांसमिशन लाइन को चालू किए जाने के बाद दक्षिणी क्षेत्र विशेषकर तमिलनाडु को पारेषित विद्युत का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि रायचुर-शोलापुर ट्रांसमिशन लाइन को चालू करने के बाद से उत्तर-पूर्वी पश्चिमी ग्रिड (एन.ई.डब्ल्यू.) से कोई विद्युत प्राप्त या पारेषित नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): 765 केवी रायचूर-शोलापुर पारेषण लाइन की प्रथम एवं द्वितीय सर्किट लाइनों का क्रमशः 1 जनवरी, 2014 एवं 1 जुलाई, 2014 को वाणिज्यिक प्रचालन किया गया था। इस प्रकार 765 केवी रायचूर-शोलापुर दोहरी लाइन का प्रचालन जुलाई 2014 से प्रारंभ हो गया है।

जुलाई से नवंबर, 2014 के दौरान दक्षिणी क्षेत्र को निर्यात की गई ऊर्जा 7036 एमयू थी इनमें से 1000 एमयू का निर्यात 765 केवी रायचूर-शोलापुर दोहरी लाइन के माध्यम से किया गया था। जुलाई से नवंबर, 2014 की समान अवधि के दौरान नई ग्रिड से तमिलनाडु को निर्यात की जाने वाली ऊर्जा 2145 एमयू (विद्युत एक्सचेंज से तमिलनाडु द्वारा खरीद की गई ऊर्जा को छोड़कर) थी।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2425

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत का उत्पादन करने वाले राज्यों को मुफ्त बिजली प्रदान किया जाना

2425. श्री भूपिंदर सिंहः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को जानकारी है कि ओडिशा के मुख्य मंत्री ने विद्युत का उत्पादन करने वाले राज्यों को न्यायसंगत मुआवज़ा दिए जाने और विद्युत के उत्पादन पर शुल्क अधिरोपित किए जाने हेतु योजना आयोग के उपाध्यक्ष को लिखा है और ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे खनिज समृद्ध राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इस उद्देश्य हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) चूंकि टी.ई.आर.आई. ने योजना आयोग को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है तो क्या विद्युत और कोयला मंत्रालय विद्युत का उत्पादन करने वाले राज्यों को मुफ्त बिजली का उपयोग करने की अनुमति देने और पर्यावरण संबंधी दुष्प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण संबंधी कर अधिरोपित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाएंगे?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हां ।

प्रमुख कोयला धारक राज्यों अर्थात ओडिशा, झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़ द्वारा कोयला खनन और कोयला आधारित विद्युत उत्पादन के संबंध में सामना कर रहे अपनी नकारात्मक बाहय चिंताओं को व्यक्त किया है और मेजबान विद्युत उत्पादनकर्ता राज्यों तथा विद्युत उत्पादन पर प्रशुल्क लगाने लिए समतुल्य मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

(ख) : इस संबंध में, योजना आयोग ने राज्यों को मुआवजे के लिए उपयुक्त पद्धति का सुझाव देने के लिए टीईआरआई को नियुक्त किया है। टीईआरआई ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को सौंप दी है।

इस रिपोर्ट में ऋणात्मक आकार को कवर करने के लिए निःशुल्क विद्युत के प्रयोग की सिफारिश नहीं की है क्योंकि इससे विद्युत कमी एवं विद्युत की अधिकता वाले राज्यों के लिए विभिन्न कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं।

भारत सरकार ने 2010 में स्वच्छ ऊर्जा उपकर को लागू कर दिया है जिसके लिए कोयले के प्रत्येक टन हेतु 100 रुपए लेबी लगायी गयी है। इससे एकत्र की गई राशि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) को उपलब्ध कराई जाती है जिसका उद्देश्य मेजबान राज्यों सहित स्वच्छ ऊर्जा की परियोजना को निधि उपलब्ध कराना है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2426

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति

2426. डॉ. प्रभाकर कोरेः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों को गुणवत्तापूर्ण विद्युत की चौबीस घंटे निर्बाध आपूर्ति करने हेतु गुजरात सरकार की ज्योतिग्राम योजना के तर्ज पर ग्रामीण विद्युतीकरण की एक योजना बनाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई समय-सीमा निर्धरित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने वितरण ट्रांसफार्मर / फीडर / उपभोक्ताओं की मीटरिंग तथा ग्रामीण विद्युतीकरण सहित फीडर सेपरेशन, उप पारेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 12वीं और 13वीं योजना की संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि में 43033 करोड़ रुपए परिव्यय की योजना के साथ दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा होने की अनुसूची यूटीलिटी को अवार्ड-पत्र जारी किए जाने की तारीख से 24 माह के भीतर है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना इस नई योजना में शामिल कर दी गई है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2427
जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में निवेश

2427. डॉ. भालचन्द्र मुणगेकरः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र में सरकारी और गैर-सरकारी निवेश कितना-कितना है;

(ख) अगले पाँच वर्षों में देश की अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता कितनी होगी; और

(ग) उक्त को देखते हुए मंत्रालय विद्युत क्षेत्र में सरकारी और गैर-सरकारी निवेश को बढ़ाने हेतु क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखता है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : परियोजना प्राधिकारियों द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों (2009-10 से 2013-14) के दौरान विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी निवेश की राशि क्रमशः 510557.02 करोड़ रूपए और 355829.85 करोड़ रूपए थी।

(ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित 18वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे के अनुसार अगले पांच वर्षों के लिए देश की कुल विद्युत आवश्यकता (केवल यूटिलिटियों के लिए) निम्नानुसार है-

वर्ष	वैद्युत ऊर्जा आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	व्यस्ततम कालीन विद्युत भार (मेगावाट)
2015-16	1248081	181988
2016-17	1354874	199540
2017-18	1450982	214093
2018-19	1552008	229465
2019-20	1660783	246068

(ग) : भारत सरकार ने विद्युत सहित अवसंरचना क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाने के लिए पहले ही विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर अधिनियम के तहत प्रचालन के पहले 15 वर्षों के भीतर विद्युत कंपनियों को 10 वर्षों के ब्लॉक के लिए टैक्स हॉलीडे; इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कं. लि. द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता; 2010-11 से कर मुक्त दीर्घकालीन इंफ्रास्ट्रक्चर बांडों में सीमित निवेश की अनुमति; पूंजीगत सामान के आयात द्वारा निवेश के लिए बाह्य वाणिज्यिक ऋणों की अनुमति, नई परियोजनाओं, मौजूदा उत्पादक यूनिटों का आधुनिकीकरण और विस्तार, साथ-ही-साथ मौजूदा विद्युत परियोजनाओं के ऋण का रूपयों में आंशिक वित्त पोषण; वर्ष 2013-15 के दौरान संयंत्र और मशीनरी में 100 करोड़ रूपए से अधिक का निवेश करने वाली कंपनियों को 15% निवेश भत्ता कटौती की अनुमति; ट्रांजीशन फाइनेंस तंत्र के माध्यम से केंद्रीय सहायता से शुरू की गई वितरण कंपनियों की वित्तीय हालत में सुधार करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए उनके पुनर्गठन हेतु वित्त पोषण; प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु परियोजनाओं को चिन्हित करते हुए पारेषण क्षेत्र में निजी भागीदारी आदि शामिल हैं।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2428
जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

राज्य विद्युत बोर्डों को घाटा

2428. सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसाः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ राज्य विद्युत बोर्ड भारी घाटे में चल रहे हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राज्य सरकारों ने घाटे की भरपाई हेतु केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : राज्य विद्युत यूटिलिटयों (एसईबी/विकेंद्रीकृत यूटिलिटियों/विद्युत विभागों) तथा सुधार उपायों (दिल्ली तथा ओडिशा के डिस्कॉम्स) के परिणामस्वरूप सृजित निजी वितरण कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए विस्तृत लेखाओं के आधार पर पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) की "परफार्मेंस ऑफ स्टेट पावर यूटिलिटीज" पर वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए रिपोर्ट के अनुसार सीधे उपभोक्ताओं को बेचने वाली अधिकांश यूटिलिटियों को 2010-11 से 2012-13 की अवधि में हानियां हुई हैं।

2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए यूटिलिटियों (सीधे उपभोक्ताओं को बेचने वाली यूटिलिटियां, जेंकोज और ट्रांसकोज) को हुई कुल हानियां नीचे दी जा रही हैं:

रुपए करोड़ में

	2010-11	2011-12	2012-13
प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ / (हानि)	(52,569)	(72,381)	(68,085)
प्राप्त सब्सिडी आधार पर लाभ / (हानि)	(54,953)	(76,633)	(68,964)

वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए राज्यवार तथा यूटिलिटी वार हानियों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) : केंद्र सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉम्स के वित्तीय पुनर्गठन के लिए अक्तूबर, 2012 में वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) के लिए एक योजना को अनुमोदित और अधिसूचित किया है ताकि यह राज्य के डिस्कॉम्स के टर्न अराउंड और उनकी दीर्घ अवधि व्यवहार्यता सुनिश्चित करने में सक्षम हो सके।

इस योजना में केंद्र सरकार की ट्रांजिसनल फाइनेंस मैकेनेज्म के माध्यम से समर्थन द्वारा उनके ऋणों का पुनर्गठन करके वित्तीय टर्न अराउंड की प्राप्ति के लिए राज्य डिस्कॉमों तथा राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपाय दिए गए हैं। इस योजना के अनुसार 31 मार्च, 2012 तथा 31 मार्च, 2013 तक की अल्प अवधि देयताओं (बिहार, झारखंड तथा आंध्र प्रदेश के लिए) के 50% बकाया को राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना है। पहले इसे राज्य सरकार की विधिवत गारंटी द्वारा प्रतिभागी उधारदाताओं को डिस्कॉम द्वारा जारी किए जाने वाले बांडों में परिवर्तित किया जाता है, उसके बाद राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिए जाने की तारीख तक राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विशेष प्रतिभूतियों और पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान के माध्यम से अगले 2-5 वर्षों में डिस्कॉमों से राज्य सरकार द्वारा देयता अधिकार में ली जाती है। इस योजना की उपलब्धता अवधि 31.03.2014 को समाप्त हो गई है।

केंद्र सरकार आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत निर्धारित हानि ट्रेजेक्ट्री से परे बचाई गई अतिरिक्त ऊर्जा के मूल्य के बराबर प्रोत्साहन प्रदान करेगी तथा इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के अधिकार में लिए जाने वाले देयता के मूलधन के पुनर्भुगतान का 25% पूंजी प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान करेगी।

****

<u>अनुबंध</u>

राज्य सभा में दिनांक 15.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2428 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

यूटिलिटियों (सीधे उपभोक्ताओं को बेचने वाली यूटिलिटियां, जेंकोज और ट्रांसकोज) को होने वाले समेकित हानियां

रुपए करोड़ में

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2010-11		2011-12		2012-13	
			प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ / (हानि)	प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ / (हानि)	प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ / (हानि)	प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ / (हानि)	प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ / (हानि)	प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ / (हानि)
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	(1,332)	(1,332)	(2,662)	(2,662)	(1,088)	(1,088)
		एनबीपीडीसीएल		0		0	(56)	(56)
		एसबीपीडीसीएल		0		0	(84)	(84)
		बीएसपीजीसीएल		0		0	0	0
		बीएसपीटीसीएल		0		0	0	0
	बिहार कुल		(1,332)	(1,332)	(2,662)	(2,662)	(1,227)	(1,227)
	झारखंड	जेएसईबी	(723)	(723)	(3,211)	(3,211)	(875)	(875)
	झारखंड कुल		(723)	(723)	(3,211)	(3,211)	(875)	(875)
	ओडिशा	सीईएसयू	(87)	(87)	(257)	(257)	(316)	(316)
		जीआरआईडीसीओ	(588)	(588)	(937)	(937)	32	32
		एनईएससीओ	(72)	(72)	(92)	(92)	(77)	(77)
		ओएचपीसी	38	38	76	76	47	47
		ओपीजीसीएल	115	115	137	137	167	167
		ओपीटीसीएल	(13)	(13)	28	28	21	21
		एसईएससीओ	(19)	(19)	(22)	(22)	(34)	(34)
		डब्ल्यूईएससीओ	(38)	(38)	(52)	(52)	(132)	(132)
	ओडिशा कुल		(663)	(663)	(1,119)	(1,119)	(292)	(292)
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	(23)	(23)	(17)	(17)	39	39
	सिक्किम कुल		(23)	(23)	(17)	(17)	39	39
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	78	78	380	380	132	132
		डब्ल्यूएसईडीसीएल	95	95	73	73	82	82
		डब्ल्यूबीएसईटीसीएल	174	174	172	172	333	333
	पश्चिम बंगाल कुल		348	348	625	625	546	546
पूर्वी कुल			(2,394)	(2,394)	(6,384)	(6,384)	(1,808)	(1,808)
उत्तर पूर्वी	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडी	(182)	(182)	(274)	(274)	(255)	(255)
	अरुणाचल प्रदेश कुल		(182)	(182)	(274)	(274)	(255)	(255)
	असम	एईजीसीएल	(68)	(68)	(68)	(68)	119	119
		एपीजीसीएल	9	9	(50)	(50)	(6)	(6)
		एपीडीसीएल	(486)	(486)	(408)	(558)	(418)	(568)
	असम कुल		(545)	(545)	(525)	(675)	(305)	(455)
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	(204)	(204)	(307)	(307)	(315)	(315)
	मणिपुर कुल		(204)	(204)	(307)	(307)	(315)	(315)

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2010-11		2011-12		2012-13	
			प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ / (हानि)	प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ / (हानि)	प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ / (हानि)	प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ / (हानि)	प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ / (हानि)	प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ / (हानि)
	मेघालय	एमईईसीएल	(91)	(91)	(195)	(195)		0
		एमईपीडीसीएल		0		0	(63)	(63)
		एमईपीजीसीएल		0		0	(124)	(124)
		एमईपीटीसीएल		0		0	(24)	(24)
	मेघालय कुल		(91)	(91)	(195)	(195)	(210)	(210)
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	(158)	(158)	(126)	(126)	(201)	(201)
	मिजोरम कुल		(158)	(158)	(126)	(126)	(201)	(201)
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	(179)	(179)	(214)	(214)	(212)	(212)
	नागालैंड कुल		(179)	(179)	(214)	(214)	(212)	(212)
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	(126)	(130)	(157)	(157)	(166)	(166)
	त्रिपुरा कुल		(126)	(130)	(157)	(157)	(166)	(166)
उत्तर पूर्वी कुल			(1,487)	(1,491)	(1,799)	(1,949)	(1,665)	(1,815)
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	388	388	121	121	21	21
		बीएसईएस यमुना	155	155	21	21	25	25
		दिल्ली ट्रांस्को	134	134	795	795	261	261
		इंद्रप्रस्थ	18	18	266	266	99	99
		प्रगति	103	103	168	168	223	223
		टीपीडीडीएल	258	258	339	339	310	310
	दिल्ली कुल		1,057	1,057	1,710	1,710	939	939
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	(792)	(955)	(4,599)	(4,599)	(1,352)	(1,352)
		एचपीजीसीएल	5	5	(160)	(160)	(147)	(147)
		एचवीपीएनएल	188	188	140	140	(38)	(38)
		यूएचबीवीएनएल	(129)	(129)	(8,604)	(8,604)	(2,297)	(2,297)
	हरियाणा कुल		(729)	(892)	(13,223)	(13,223)	(3,834)	(3,834)
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	(122)	(122)		0		0
		एचपीएसईबी लि..	(380)	(380)	(513)	(513)	(542)	(542)
	हिमाचल प्रदेश कुल		(502)	(502)	(513)	(513)	(542)	(542)
	जम्मू और कश्मीर	जेएंडकेपीडीसीएल	187	187	242	242	308	308
		जेएंडकेपीडीडी	(2,167)	(2,167)	(3,037)	(3,037)	(3,129)	(3,129)
	जम्मू और कश्मीर कुल		(1,979)	(1,979)	(2,795)	(2,795)	(2,821)	(2,821)
	पंजाब	पीएसपीसीएल	(1,640)	(1,640)	(537)	(459)	296	51
	पंजाब कुल		(1,640)	(1,640)	(537)	(459)	296	51
	राजस्थान	एवीवीएनएल	(6,907)	(6,907)	(7,596)	(7,596)	(3,905)	(3,905)
		जेडीवीवीएनएल	(6,827)	(6,827)	(6,179)	(6,179)	(4,285)	(4,285)
		जेवीवीएनएल	(7,636)	(7,636)	(5,797)	(5,797)	(4,161)	(4,161)
		आरआरवीपीएनएल	42	29	(36)	(50)	41	26
		आरआरवीयूएनएल	(41)	(41)	(330)	(330)	(185)	(185)
	राजस्थान कुल		(21,369)	(21,382)	(19,938)	(19,952)	(12,495)	(12,510)

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2010-11		2011-12		2012-13	
			प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ / (हानि)	प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ / (हानि)	प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ / (हानि)	प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ / (हानि)	प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ / (हानि)	प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ / (हानि)
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	(1,322)	(1,322)	(2,840)	(2,840)	(3,364)	(3,364)
		केईएससीओ	(182)	(182)	(384)	(384)	(545)	(545)
		एमवीवीएन	(742)	(742)	(1,765)	(1,765)	(2,033)	(2,033)
		प. वीवीएन	(453)	(453)	(1,992)	(1,992)	(1,303)	(1,303)
		पू. वीवीएन	(1,268)	(1,268)	(2,244)	(2,244)	(2,533)	(2,533)
		यूपीजेवीएनएल	1	1	(23)	(23)	0	0
		यूपीपीसीएल	(4,836)	(4,836)	(2,722)	(2,722)	(3,479)	(3,479)
		यूपीआरवीयूएनएल	126	126	88	88	80	80
		यूपीपीटीसीएल	(2)	(2)	(53)	(53)	23	23
	उत्तर प्रदेश कुल		(8,677)	(8,677)	(11,934)	(11,934)	(13,155)	(13,155)
	उत्तराखंड	यूजेवीएनएल	17	17	56	56	18	18
		यूटीपीसीएल	(204)	(204)	(55)	(55)	(13)	(13)
		यूटीट्रांसको	(10)	(10)	(7)	(7)	7	7
	उत्तराखंड कुल		(197)	(197)	(5)	(5)	13	13
उत्तरी कुल			(34,036)	(34,212)	(47,235)	(47,171)	(31,599)	(31,859)
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीजेंको	313	313	402	402	437	437
		एपीट्रांसको	62	62	260	260	417	417
		एपीसीपीडीसीएल	3	(778)	4	(1,476)	(7,718)	(7,718)
		एपीईपीडीसीएल	13	(572)	25	(963)	(1,681)	(1,681)
		एपीएनपीडीसीएल	7	(409)	3	(874)	(3,436)	(3,445)
		एपीएसपीडीसीएल	3	(418)	6	(710)	(4,673)	(4,678)
	आंध्र प्रदेश कुल		401	(1,803)	699	(3,361)	(16,654)	(16,668)
	कर्नाटक	बीईएससीओएम	0	0	118	107	(433)	(433)
		सीएचईएचसीओएम	11	11	(123)	(269)	(270)	(337)
		जेईएससीओएम	61	61	(5)	34	(189)	(189)
		एचईएससीओएम	(65)	(65)	40	40	41	41
		केपीसीएल	525	525	115	115	2	2
		केपीटीसीएल	1	1	8	8	44	44
		एमईएससीओएम	2	2	6	6	13	13
	कर्नाटक कुल		536	536	159	40	(791)	(859)
	केरल	केएसईबी	241	241	241	241	241	241
	केरल कुल		241	241	241	241	241	241
	पुडुच्चेरी	पुडुच्चेरी पीसीएल	(0)	(0)	8	8	7	7
		पुडुच्चेरी पीडी	(134)	(134)	(164)	(164)	(308)	(308)
	पुडुच्चेरी कुल		(134)	(134)	(156)	(156)	(301)	(301)
	तमिलनाडु	टीएनईबी	(6,273)	(6,273)		0		0
		टीएएनजीईडीसीओ	(5,634)	(5,634)	(13,321)	(13,308)	(11,679)	(12,064)
		टीएएनट्रांसको	0	0	(0)	(0)	236	236
	तमिलनाडु कुल		(11,907)	(11,907)	(13,321)	(13,308)	(11,443)	(11,827)
दक्षिणी कुल			(10,864)	(13,067)	(12,379)	(16,545)	(28,949)	(29,415)

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2010-11		2011-12		2012-13	
			प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ / (हानि)	प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ / (हानि)	प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ / (हानि)	प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ / (हानि)	प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ / (हानि)	प्राप्त सब्सिडी के आधार पर लाभ / (हानि)
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीजीसीएल	(361)	(361)	16	16	16	16
		सीएसपीटीसीएल	(16)	(16)	101	101	(19)	(19)
		सीएसपीडीसीएल	(581)	(581)	(2,012)	(2,012)	(498)	(498)
	छत्तीसगढ़ कुल		(958)	(958)	(1,895)	(1,895)	(501)	(502)
	गोआ	गोआ पीडी	(79)	(79)	(271)	(271)	(285)	(285)
	गोआ कुल		(79)	(79)	(271)	(271)	(285)	(285)
	गुजरात	डीजीवीसीएल	63	63	76	76	25	25
		जीईटीसीओ	211	211	249	249	277	277
		जीएसईसीएल	144	144	172	172	177	177
		जीयूवीएनएल	76	76	67	67	14	14
		एमजीवीसीएल	25	25	36	36	21	21
		पीजीवीसीएल	3	3	9	9	11	11
		यूजीवीसीएल	13	13	12	12	14	14
	गुजरात कुल		533	533	623	623	539	539
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	(605)	(605)	(1,129)	(1,129)	(1,593)	(1,595)
		एमपी पश्चिमी क्षेत्र वीवीसीएल	(578)	(578)	(624)	(624)	(1,425)	(1,425)
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	(974)	(974)	(1,167)	(1,167)	(1,432)	(1,432)
		एमपीपीजीसीएल	(243)	(243)	(74)	(74)	(17)	(17)
		एमपीपीटीसीएल	(18)	(18)	(10)	(10)	(5)	(5)
	मध्य प्रदेश कुल		(2,419)	(2,419)	(3,004)	(3,004)	(4,472)	(4,474)
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	(1,505)	(1,505)	(808)	(808)	(871)	(871)
		एमएसपीजीसीएल	309	309	200	200	488	488
		एमएसईटीसीएल	329	329	570	570	1,038	1,038
	महाराष्ट्र कुल		(866)	(866)	(37)	(37)	655	655
पश्चिमी कुल			(3,788)	(3,788)	(4,584)	(4,584)	(4,064)	(4,067)
सकल योग			(52,569)	(54,953)	(72,381)	(76,633)	(68,085)	(68,964)

****

भारत सरकार

विद्‌युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2429

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

विद्‌युत पारेषण परियोजनाओं की नीलामी

2429. श्रीमती वानसुक साइमः

क्या विद्‌युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली लगाए जाने के एक दौर में विद्‌युत पारेषण परियोजनाओं की स्थापना संबंधी आठ अनुबंधों की नीलामी कर सकती है;

(ख) क्या प्रस्तावित पारेषण परियोजनाओं से विद्‌युत पारेषण में रुकावट की विकट समस्या से जूझ रहे विद्‌युत की भारी कमी से ग्रस्त दक्षिण भारतीय राज्यों को फायदा होगा;

(ग) क्या इस पैकेज में छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के बीच 2500 कि.मी. लम्बी उच्च क्षमता वाली पॉवर इवैक्यूएशन लिंक भी शामिल होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्‌युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : ग्लोबल बिडिंग के माध्यम से विद्‌युत पारेषण परियोजनाओं की स्थापना एक निरंतर प्रक्रिया है। हाल ही में, सात परियोजनाओं को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली रूट आधार पर दिए जाने के लिए प्रस्तावित की गई हैं।

(ख) : दक्षिणी क्षेत्र अर्थात वरोड़ा-वारांगल और चिल्कालूरीपेटा-हैदराबाद-करनूल 765 केवी लिंक में से विद्‌युत के आयात के लिए अतिरिक्त अंतर-क्षेत्रीय एसी लिंक से संबंधित पारेषण परियोजनाएं और वेमागिरी के आगे दक्षिणी क्षेत्र में पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों को लाभ होगा।

(ग) और (घ) : पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़ (छत्तीसगढ़)) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगालूर (तमिलनाडु)) और मडाक्काथारा (केरल) के बीच एचवीडीसी (हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट) बाईपोल लिंक से संबंधित पारेषण परियोजना जिसकी लंबाई लगभग 2,505 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. द्‌वारा कार्यान्वित की जाएगी।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2430
जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के
अंतर्गत गैर-सरकारी कंपनियों की भूमिका

2430. श्री मोहम्मद अली खानः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के अंतर्गत गैर-सरकारी कंपनियों की भूमिका बढ़ गई है; और

(ख) सरकार द्वारा ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य की ऐसी गैर-सरकारी कंपनियों को कितनी-कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने ग्रामीण घरों को विद्युत आपूर्ति की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल, 2005 में ग्रामीण विद्युत अवसंरचना के सृजन और घरों को विद्युतीकरण के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) प्रारंभ की। आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन को निर्दिष्ट किया गया। परियोजनाएं राज्य यूटिलिटियों और राज्यों द्वारा चयनित किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

भारत सरकार द्वारा आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर-सरकारी कंपनियों को कोई राशि / ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2431

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण

2431. श्री मोहम्मद अली खानः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) ने प्रत्येक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन राज्यों को अब तक कितनी-कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई और इनके द्वारा कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युत अवसंरचना सृजन एवं घरेलू विद्युतीणकरण के सृजन के लिए 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' अप्रैल, 2005 में प्रारंभ की थी, जिसमें ग्रामीण घरों को विद्युत की पहुंच प्रदान करने तथा गरीबी रेखा से नीचे के घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करने की योजना है। आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी नामजद किया गया था।

आरजीजीवीवाई के अन्तर्गत, दसवीं एवं ग्यारहवीं योजना के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों सहित देश में, 1,12,287 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण, 3,71,646 विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण तथा 2.72 करोड़ बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने को शामिल करते हुए 648 परियोजनाएं संस्वीकृत की गईं। 31.11.2014 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत संचयी रूप से, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों सहित, 1,08,818 गैर-विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य, 3,13,012 लाख विद्युतीकृत गांवों में गहन विद्युतीकरण कार्य पूरे किये जा चुके हैं तथा 2.20 करोड़ बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I पर हैं।

(ख) : आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, 30192.10 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से 11वीं योजना में 413 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थीं। 30.11.2014 की स्थिति के अनुसार, इन परियोजनाओं के लिए आरईसी द्वारा 18603.62 करोड़ रुपए की पूंजीगत सब्सिडी संवितरित की गई है।

इसके अतिरिक्त, 23708.65 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से 12वीं योजना में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 273 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थीं। 30.11.2014 की स्थिति के अनुसार, 11वीं और 12वीं योजना के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित परियोजना लागत और आरईसी द्वारा संवितरित सब्सिडी का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-II पर है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 15.11.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2431 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

10वीं एवं 11वीं योजना में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत गांवों और बीपीएल घरों को जारी किए गए निःशुल्क विद्युत कनेक्शनों की राज्य-वार कवरेज और उपलब्धि								
क्रम सं,	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	कवरेज			संचयी उपलब्धता (30.11.2014 तक)		
			यूईवी	आईईवी	बीपीएल कनेक्शन	गैर-विद्युतीकृत	आईईवी	बीपीएल कनेक्शन
1	आंध्र प्रदेश*	16	0	16155	1997962	0	16155	1997962
2	अरुणाचल प्रदेश	16	2096	1408	53312	2041	1340	50431
3	असम	23	8427	12900	1270814	8292	12752	1164576
4	बिहार	54	24294	18622	5448300	23008	6734	2544166
5	छत्तीसगढ़	18	1731	16114	1268165	1286	14914	1092959
6	गुजरात*	25	0	16176	841219	0	16144	841219
7	हरियाणा*	21	0	5910	220605	0	5137	199173
8	हिमाचल प्रदेश	12	95	12093	17494	91	10234	16655
9	जम्मू व कश्मीर	14	237	3247	80021	209	3175	69079
10	झारखण्ड	22	18615	6085	1470260	18136	5786	1314933
11	कर्नाटक	27	58	24078	923595	58	23972	890549
12	केरल*	14	0	1272	125598	0	854	117804
13	मध्य प्रदेश	52	879	48635	1838849	764	30844	1263905
14	महाराष्ट्र*	35	0	36464	1226185	0	36072	1220672
15	मणिपुर	9	882	1378	107369	633	628	33899
16	मेघालय	7	1867	3145	109387	1823	2921	104360
17	मिजोरम	8	145	570	30917	114	462	20540
18	नागालैंड	11	105	1170	74064	92	1113	46566
19	ओडिशा	32	14431	27213	2883902	14430	26746	2870496
20	पंजाब*	17	0	6580	102176	0	6030	100404
21	राजस्थान	40	4226	33961	1263735	4180	33313	1163691
22	सिक्किम	4	25	413	12108	25	405	11571
23	तमिलनाडु*	29	0	10402	525571	0	9673	501202
24	तेलंगाना*	10	0	9746	752297	0	9485	712111
25	त्रिपुरा	4	148	658	117163	144	652	117157
26	उत्तर प्रदेश	86	28312	22253	1919543	27796	3163	1078666
27	उत्तराखण्ड	13	1512	10790	261100	1511	10748	261100
28	पश्चिम बंगाल	29	4202	24208	2310299	4185	23560	2217571
	कुल	648	112287	371646	27252010	108818	313012	22023417

* आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों में, इन राज्यों द्वारा कोई भी गैर-विद्युतीकृत गांव विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में प्रस्तावित नहीं था। तथापि, इन राज्यों में पहले से ही विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण किया जा रहा है।

****

राज्य सभा में दिनांक 15.11.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2431 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

11वीं एवं 12वीं योजना में परियोजना लागत सहित आरजीजीवीवाई के अंतर्गत जारी की गई परियोजनाओं और आरईसी द्वारा संवितरित पूंजीगत सब्सिडी का राज्य-वार ब्यौरा

30.11.2014 की स्थिति के अनुसार (रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	11वीं योजना			12वीं योजना		
		परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	संवितरित सब्सिडी	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	संवितरित सब्सिडी
1	आंध्र प्रदेश*	4	95.77	93.07	0	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	14	955.27	767.41	0	0.00	0.00
3	असम	20	2622.66	2046.33	16	1621.07	0.00
4	बिहार	28	5231.39	2498.79	27	5220.65	942.62
5	छत्तीसगढ़	15	1181.52	754.68	4	286.10	0.00
6	गुजरात*	22	249.82	211.41	0	0	0.00
7	हरियाणा*	17	137.63	122.41	0	0	0.00
8	हिमाचल प्रदेश	11	271.12	207.49	0	0	0.00
9	जम्मू व कश्मीर	11	832.29	651.53	3	101.28	0.00
10	झारखण्ड	9	1596.25	1248.05	17	1260.93	0.00
11	कर्नाटक	10	440.92	300.98	9	103.85	0.00
12	केरल*	13	204.40	113.97	0	0.00	0.00
13	मध्य प्रदेश	44	2367.72	1351.41	34	1430.87	0.00
14	महाराष्ट्र*	31	610.37	469.35	0	0.00	0.00
15	मणिपुर	7	349.22	262.77	6	222.17	0.00
16	मेघालय	5	410.27	320.08	0	0	0.00
17	मिजोरम	6	180.70	145.05	8	77.03	0.00
18	नागालैंड	9	225.89	179.31	11	92.31	0.00
19	ओडिशा	28	3493.30	2647.14	31	3546.77	0.00
20	पंजाब*	17	183.91	51.44	0	0	0.00
21	राजस्थान	15	833.71	637.58	28	1453.91	0.00
22	सिक्किम	2	125.71	97.35	8	0	0.00
23	तमिलनाडु*	29	385.46	295.45	0	0.00	0.00
24	तेलंगाना*	3	161.93	128.76	0	316.23	0.00
25	त्रिपुरा	5	107.06	74.54	0	0	0.00
26	उत्तर प्रदेश	22	4476.32	1189.31	64	7366.88	198.75
27	उत्तराखण्ड	0	0.00	0.00	0	0	0.00
28	पश्चिम बंगाल	16	2461.47	1737.98	7	608.60	0.00
	कुल	413	30192.10	18603.62	273	23708.65	1141.37

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2432

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में आरक्षित वर्ग के
पदों को भरा जाना

2432. श्री नरेन्द्र कुमार कश्यपः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी.) में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और आरक्षण कोटा के अंतर्गत नियुक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में आरक्षित वर्ग के कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ग-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरे जाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या 612 (दिनांक 20.11.2014 तक की स्थिति के अनुसार बोर्ड स्तर के पदों को छोड़कर) है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नवत हैः-

क्र. सं.	श्रेणी	अधिकारी	स्टाफ(कर्मचारी)
1.	अनुसूचित जाति	43	41
2.	अनुसूचित जनजाति	13	01
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	49	06

(ख) और (ग) : आरईसी में बहुत ही कम आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं जो कि निम्नलिखित हैः-

क्र. सं.	पद	श्रेणी	पदों की संख्या
1.	जीएम (इंजीनियरी)	अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल	1
2.	डीजीएम (इंजीनियरी)	अनुसूचित जनजाति	1
3.	मुख्य प्रबंधक (एफ एंड ए)	अनुसूचित जनजाति	1

(घ) : इन पदों को भरे जाने के लिए रिक्तियाँ अधिसूचित करने के बावजूद भी कई बार उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे। सभी रिक्त पड़े बैकलाग पदों को पहले वाले चक्र के पूरा होने के पश्चात अगले भर्ती चक्र में आगे ले जाया जाएगा।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2433
जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के
अंतर्गत गांवों का विद्युतीकरण

2433. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के तहत सभी गाँवों में बिजली पहुंचाने की योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो बिहार का तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार के मधुबनी जिले के फुलपरास प्रखंड के सुड़ियाही गाँव जिसकी आबादी लगभग 15 हजार है, आज़ादी के 67 साल बाद भी बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन गाँवों में जल्द से जल्द बिजली पहुंचाने हेतु सरकार की क्या कार्य-योजना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देश में सभी गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) शुरू की गई थी और इसे अब नवंबर, 2014 में नई अनुमोदित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के रूप में शामिल हो गई है।

(ख) : आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, 2207.49 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से 16,612 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण को शामिल करते हुए दसवीं योजना में बिहार में 26 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थी। इन परियोजनाओं में विदयुतीकरण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। दिनांक 30.11.2014 की स्थिति के अनुसार, इन परियोजनाओं के लिए 1887.31 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी जारी की गई थी।

इसी प्रकार आरजीजीवीवाई की ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत, 5231.39 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से 7,682 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण और 18,622 विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण को शामिल करते हुए बिहार में 28 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थीं। 30.11.2014 की स्थिति के अनुसार, संचयी रूप से, 6396 गैर-विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य और 6734 विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण पूरा किया जा चुका है और इन परियोजनाओं के लिए 2498.79 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी जारी की गई है। इसका जिला-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

इसके अलावा, बारहवीं योजना में 5220.65 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से 6,882 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण और 21,377 विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण को शामिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्कीम के अंतर्गत 27 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं की पहली किश्त के लिए 942.62 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी जारी की गई है। जिला-वार ब्यौरा अनुबंध-II पर दिया गया है।

(ग) और (घ) : रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, जो कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, फलपरस ब्लॉक, जिला मधुबनी में सुदियाही नामक गांव मौजूद नहीं है। तथापि, एक आवास है जिसका नाम सुरीग्राही है, जो मधुबनी जिले के फलपरस ब्लॉक में रामनगर गांव का एक भाग है, जिसके लिए 12वीं योजना में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युतीकरण कार्य पहले ही सौंपा जा चुका है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 15.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2433 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

बिहार में 10वीं एवं 11वीं योजना में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत गांवों, विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण की जिला-वार कवरेज और उपलब्धि							
30.11.2014 की स्थिति के अनुसार							
क्रम सं.	जिला	परियोजना लागत (रुपए करोड़ में)	गैर-विद्युतीकृत गांव		गहन विद्युतीकृत गांव		संवितरित पूंजीगत सब्सिडी (रुपए करोड़ में)
			कवरेज	उपलब्धि	कवरेज	उपलब्धि	
	10वीं योजना						
1	दरभंगा	53.04	369	369	0	0	48.48
2	पूर्व चम्पारण	88.24	744	744	0	0	74.82
3	मधुबनी	36.85	326	326	0	0	38.37
4	शिवहर	14.96	116	116	0	0	15.55
5	सीतामढ़ी	43.45	305	305	0	0	35.63
6	अररिया	120.03	593	593	0	0	88.62
7	औरंगाबाद	171.15	1239	1239	0	0	139.41
8	बांका	144.56	1276	1276	0	0	133.66
9	भागलपुर	60.27	525	525	0	0	62.75
10	भोजपुर	82.79	594	594	0	0	63.11
11	बक्सर	71.93	516	516	0	0	58.26
12	गया (साउथ)	146.26	1210	1210	0	0	118.47
13	गया (नॉर्थ)	130.56	849	849	0	0	105.76
14	गोपालगंज	100.07	692	692	0	0	87.19
15	जमुई	116.32	953	953	0	0	107.69
16	कैमूर	37.80	460	460	0	0	44.51
17	किशनगंज	75.28	477	477	0	0	65.00
18	लखीसराय	24.76	175	175	0	0	19.69
19	मुंगेर	28.72	201	201	0	0	23.40
20	नालंदा	81.79	609	609	0	0	77.78
21	नवादा	74.38	613	613	0	0	59.10
22	पटना	65.03	438	438	0	0	63.13
23	पुरनिया	86.65	583	583	0	0	70.18
24	रोहतास	106.93	998	998	0	0	87.29
25	सरन	126.30	925	925	0	0	102.30
26	सिवान	115.57	826	826	0	0	93.37
	कुटीर ज्योति स्कीम के अंतर्गत बीपीएल	3.78					3.78
	कुल	2207.49	16612	16612	0	0	1887.31

11वीं योजना							
1	बेगुसराय	150.66	332	332	330	330	109.48
2	कटिहार	316.44	423	423	176	176	191.26
3	खगरिया	59.63	96	94	106	106	40.85
4	माधुपुरा	99.56	234	234	147	147	75.20
5	सहरसा	112.72	186	181	201	201	87.83
6	समस्तीपुर	185.39	455	447	658	650	132.87
7	सुपौल	55.91	303	303	165	165	41.58
8	शेखपुरा	148.40	162	158	106	106	107.82
9	दरभंगा	110.77	284	284	419	411	90.12
10	पूर्व चम्पारण	123.37	96	96	412	412	98.13
11	मधुबनी	117.27	309	309	370	351	93.34
12	शिवहर	20.09	32	32	41	41	16.07
13	सीतामढ़ी	95.93	259	259	238	238	76.48
14	पश्चिम चम्पारण	204.96	868	868	387	385	164.65
15	जहानाबाद और अरवल	61.39	540	540	0	0	46.01
16	मुजफ्फरपुर	201.41	335	335	1055	1055	154.71
17	वैशाली	173.40	336	336	1021	1006	103.13
17	एमएनपी के अंतर्गत मुजफ्फरपुर और वैशाली पूरा किया गया		1094	1094	0	0	
कुल		2237.28	6344	6325	5832	5780	1629.53
11वीं योजना का फेज-II							
1	अररिया	254.06	109	8	590	175	67.57
2	पुरनिया	155.19	190	0	906	65	41.27
3	सिवान	297.63	17	4	1421	50	79.16
4	किशनगंज	319.20	184	5	438	42	84.89
5	बांका	203.75	91	0	1567	131	95.68
6	भोजपुर	168.30	115	13	884	56	44.76
7	गया	434.26	402	27	2283	172	117.25
8	नवादा	335.22	22	0	947	34	89.15
9	रोहतास	220.69	70	9	1640	131	58.69
10	नालंदा	392.11	42	0	956	7	122.25
11	पटना	213.71	96	5	1158	91	68.59
कुल		2994.11	1338	71	12790	954	869.26
सकल योग (11वीं योजना)		5231.39	7682	6396	18622	6734	2498.79

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 15.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2433 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

बिहार में 12वीं योजना में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा

					रुपए करोड़ में
क्रम सं.	जिला	परियोजना लागत	गैर-विद्युतीकृत गांव	आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांव	संवितरित पूंजीगत सब्सिडी (30.11.2014 की स्थिति के अनुसार)
1	बेगुसराय	222.91	457	686	0.00
2	दरभंगा	238.88	221	1028	0.00
3	गोपालगंज	328.33	381	1118	81.84
4	कटिहार	178.47	1271	269	40.10
5	खगरिया	119.62	94	205	30.17
6	माधेपुरा	178.41	50	387	0.00
7	मधुबनी	271.15	97	1003	68.59
8	मुजफ्फरपुर	147.36	88	1322	37.47
9	पश्चिम चम्पारण	290.87	229	1245	72.88
10	पूर्व चम्पारण	347.02	69	1224	87.12
11	सहरसा	166.59	57	411	41.68
12	समस्तीपुर	315.30	156	1062	79.34
13	सरन	412.95	560	1205	103.26
14	शिवहर	51.20	17	185	12.86
15	सीतामढ़ी	179.85	33	770	0.00
16	सुपौल	243.30	63	487	0.00
17	वैशाली	114.41	105	1464	28.47
18	अरवल	54.37	25	286	0.00
19	औरंगाबाद	220.14	279	1569	54.99
20	भागलपुर	264.29	596	924	0.00
21	बक्सर	182.11	381	753	45.50
22	जमुई	188.57	410	1096	40.17
23	जेहानाबाद	93.70	20	557	47.14
24	कैमूर	165.20	629	1068	41.47
25	लखीसराय	101.44	91	381	0.00
26	मुंगेर	118.01	438	423	29.59
27	शेखपुरा	26.20	65	249	0.00
	कुल बिहार	5220.65	6882	21377	942.62

****

भारत सरकार
विद्‌युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2434
जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

समेकित विद्‌युत विकास योजना

2434. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डीः
श्रीमती अम्बिका सोनीः

क्या विद्‌युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) समेकित विद्‌युत विकास योजना (आई.पी.डी.एस.) की प्रमुख बातें क्या-क्या हैं;

(ख) क्या शहरी क्षेत्रों में मीटरिंग, उप पारेषण और वितरण संबंधी अवसंरचना का आधुनिकीकरण और सरलीकरण का प्रस्ताव किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इसके लिए क्या बजटीय प्रावधान किया गया है?

उत्तर

विद्‌युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : समेकित विद्‌युत विकास योजना (आईपीडीएस) को दिनांक 20 नवंबर, 2014 को अनुमोदन प्रदान किया गया था। समेकित विद्‌युत विकास योजना में शहरी क्षेत्रों में सभी स्तरों पर मीटरिंग के साथ उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना की गई है। पुनर्गठित त्वरित विद्‌युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) की पूर्व स्कीम को आईपीडीएस की नई स्कीम में शामिल किया गया है। इस स्कीम के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :-

i) उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण
ii) मीटरिंग
iii) आईटी अनुप्रयोग-ईआरपी और कस्टमर केयर सर्विसेज
iv) सोरल पैनलों का प्रावधान
v) आर-एपीडीआरपी के चल रहे कार्यों को पूरा किया जाना है।

निजी डिस्कामों और राज्य विद्‌युत विभागों सहित सभी डिस्काम स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के पात्र हैं। विद्‌युत वित्त निगम (पीएफसी) इस स्कीम के प्रचालनीकरण के लिए नोडल एजेंसी है।

(ग) : वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आईपीडीएस का बजट प्रावधान 100 करोड़ रुपए है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2435

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

गैस-आधारित विद्युत संयंत्र

2435. श्री वी. पी. सिंह बदनौरः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र में गैस की कमी के कारण जिन गैस-आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का काम रुका पड़ा है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें गैस प्रदान करने की गारंटी दी गई थी और जो अभी केवल आंशिक रूप से काम कर रहे हैं और उनके प्लांट लोड फैक्टर का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : 16107 मेगावाट की कुल क्षमता वाले गैस आधारित ताप विद्युत केंद्र का काम रुका पड़ा है। ब्यौरा निम्नानुसार है :-

1. मार्च, 2013 से केजीडी-6 से गैस की अनुपलब्धता के कारण काम रुकी हुई क्षमता - 6997 मेगावाट
2. किसी भी गैस आबंटन के बिना चालू की गई क्षमता - 3761.8 मेगावाट।
3. किसी भी गैस आबंटन के बिना चालू करने के लिए तैयार क्षमता - 5349 मेगावाट।

वर्ष 2013-14 के दौरान संयंत्र भार कारक (प्रतिशत में) सहित काम रुके पड़े गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की सूची अनुबंध में संलग्न है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 15.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2435 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

स्ट्रेंडिड गैस आधारित विद्युत स्टेशनों की सूची

क्रम सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य का नाम	2013-14 के दौरान वार्षिक संयंत्र भार फैक्टर %
क. पूर्व-घरेलू केजी डी6 आधारित विद्युत स्टेशनों की सूची				
केंद्रीय क्षेत्र				
1	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल-दाभोल)	1967	महाराष्ट्र	8.77
राज्य क्षेत्र				
2	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	112	गुजरात	16.2
3	उतरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	374	गुजरात	0
निजी क्षेत्र				
4	वटवा सीसीपीपी (टोरेंट)	100	गुजरात	0
निजी आईपीपी क्षेत्र				
5	रिठाला सीसीपीपी (एनडीपीएल)	108	दिल्ली	0
6	एस्सार सीसीपीपी	300	गुजरात	1.80
7	पेगुथान सीसीपीपी (जीटीईसी)	655	गुजरात	4.43
8	सुजैन सीसीपीपी (टोरेंट)	1147.5	गुजरात	23.06
9	गौतमी सीसीपीपी	464	आंध्र प्रदेश	0
10	जीएमआर - काकीनाडा (तनीरवावी)	220	आंध्र प्रदेश	0
11	जेगुरूपडु सीसीपीपी (जीवीके)	220.5	आंध्र प्रदेश	0
12	कोनासीमा सीसीपीपी	445	आंध्र प्रदेश	0
13	कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी	366	आंध्र प्रदेश	0
14	वेमागिरी सीसीपीपी	370	आंध्र प्रदेश	5.48
15	श्रीबा इण्डस्ट्रीज	30	आंध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं
16	आरवीके एनर्जी	28	आंध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं
17	सिल्क रोड शुगर	35	आंध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं
18	एलवीएस पावर	55	आंध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं
	उप-जोड़ (क)	6997.0		
ख. बिना किसी गैस आबंटन के चालू की गईं परियोजनाएं				
राज्य क्षेत्र				
1	प्रगति सीसीजीटी-III	750	दिल्ली	0
2	पीपावाव सीसीपीपी	702	गुजरात	0
3	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	376.3	गुजरात	0
4	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	351	गुजरात	0
निजी आईपीपी क्षेत्र				
5	यूनोसुजैन सीसीपीपी	382.5	गुजरात	0
6	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	1200	गुजरात	0
	उप-जोड़ (ख)	3761.8		
ग. चालू होने के लिए तैयार परियोजनाएं और गैस आबंटन नहीं				
निजी क्षेत्र				
1	जीएमआर वेमागिरी एक्सपें.	768	आंध्र प्रदेश	
2	कोंडापल्ली एक्सपें. स्टेज-III	742	आंध्र प्रदेश	
3	समलकोट एक्सपें.	2400	आंध्र प्रदेश	
4	पांडुरंगा द्वारा सीसीजीटी	116	आंध्र प्रदेश	
5	आस्था द्वारा गैस इंजन	35	आंध्र प्रदेश	
6	काशीपुर श्रीवन्थी स्टेज-I व II	450	उत्तराखण्ड	
7	बेटा इंफ्राटेक सीसीजीटी	225	उत्तराखण्ड	
8	गामा इंफ्राप्रोप सीसीजीटी	225	उत्तराखण्ड	
9	पायोनीर गैस पावर लि. द्वारा सीसीजीटी	388	महाराष्ट्र	
	उप-जोड़ (ग)	5349.0		
कुल स्टैंडर्ड गैस आधारित परियोजनाएं (क+ख+ग)		16107		

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2436
जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

जल-विद्युत विकास में निवेश के लिए पहल

2436. श्री के. सी. त्यागीः
श्रीमती रजनी पाटिलः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार जल-विद्युत विकास को बढ़ावा देने हेतु निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जल-विद्युत विकास निधि सहित कई पहलें करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में जल विद्युत उत्पादन की वार्षिक क्षमता कितनी है और बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक इसकी अनुमानित क्षमता कितनी होगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां । सरकार ने देश की विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जल विद्युत विकास तथा जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं जिनमें राष्ट्रीय विद्युत नीति, जल विद्युत नीति, राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीतियां, राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति इत्यादि जैसी नीतिगत पहलें शामिल हैं। इसमें जल विद्युत विकास निधि की स्थापना करना शामिल नहीं है। इन नीतिगत पहलों के अतिरिक्त, केंद्र सरकार विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से मानीटरी तथा समीक्षा करती है।

(ग) : 30.11.2014 की स्थिति के अनुसार, 40798.76 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाले 188 जल विद्युत केन्द्र, जिनमें 4785.6 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली 9 पंप्ड स्टोरेज स्कीमें (पीएसएस) भी शामिल हैं, प्रचालनाधीन हैं। 11वीं योजना के अंत में, देश में जल विद्युत क्षमता 38990 मेगावाट की थी जो इस समय 40798.75 मेगावाट हो चुकी है। 12वीं योजना में, 10,897 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि का लाभ होने की योजना है। 12वीं योजना के अंत तक, देश में कुल जल विद्युत क्षमता 49887 मेगावाट होने की संभावना है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2437

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

सभी के लिए चौबीसों घंटे विद्युत कार्यक्रम की
प्रगति

2437. श्री जेसुदासु सीलमः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'सभी के लिए चौबीसों घंटे विद्युत कार्यक्रम' के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने हेतु कोई उपाय कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत किन्हीं प्रमुख राज्यों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है और राज्य में विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटि के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार सभी उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों को बढ़ावा देती है। भारत सरकार ने हाल ही में सभी उपभोक्ताओं को चौबीसों घण्टे विद्युत उपलब्ध करवाने के लिए सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कार्य योजना तैयार करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने के लिए एक संयुक्त पहल शुरू की है। तदनुसार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार किए गए हैं और अन्य राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में राज्य विशिष्ट दस्तावेजों को तैयार करने के लिए समयबद्ध ढंग से कार्रवाई की योजना बनाई गई है।

(ख) और (ग) : केंद्र और राज्य सरकारों की वर्तमान नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग और इसे प्रोत्साहन देना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कार्य योजनाओं में भी शामिल है।

(घ) और (ङ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विशिष्ट कार्य योजना दस्तावेजों को तैयार करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2438

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

एन.टी.पी.सी. कहलगाँव द्वारा फ्लाई ऐश का निपटान

2438. श्रीमती कहकशां परवीनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भागलपुर में कहलगांव स्थित एन.टी.पी.सी. संयंत्र से निकलने वाले फ्लाई ऐश की बिना सोचे-समझे आवासीय क्षेत्रों में लदाई तथा उतराई की जा रही है और काफी समय से इस कार्य के लिए शहर के रेल परिसरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) क्या ऐसे फ्लाई ऐश मानव स्वास्थ्य और जीवन के लिए अत्यधिक खतरनाक हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार खुले आवासीय क्षेत्र में फ्लाई ऐश की इस लदाई-उतराई पर रोक लगाने हेतु तत्काल कोई कठोर कदम उठाए जाने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : एनटीपीसी भागलपुर में कहलगांव संयंत्र की संयंत्र सीमा के भीतर एजेंसियों को बंद टैंकरों तथा बड़े-बड़े थेलों में फ्लाई ऐश भेजता है। इसके अतिरिक्त, यह ऐश केवल उन एजेंसियों को जारी की जाती है जिनके पास बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" (एनओसी) होता है। इसके बाद, सड़क/रेल के माध्यम से ऐश को थेले में और अधिक भरने और उनका परिवहन करने के लिए एजेंसियाँ उत्तरदायी होती हैं।

(ख) : फ्लाई ऐश को हानिकारण सामग्री (प्रबंधन नियंत्रण और सीमापार आवाजाही) नियम, 2008 के अंतर्गत अधिक मात्रा में कम प्रभाव वाले अवशिष्ट के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है और इसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 सितंबर, 2008 की जारी की गई अधिसूचना द्वारा हानिकारक अपशिष्ट की श्रेणी से बाहर रखा गया है।

(ग) और (घ) : यद्यपि फ्लाई ऐश को हानिकारक अपशिष्ट की श्रेणी से बाहर रखा गया है और एजेंसियाँ ऐश के परिवहन के लिए उत्तरदायी हैं तथापि, एक जिम्मेदार कारपोरेट होने के नाते, एनटीपीसी ने बाहर होने वाली निकासी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

i) कहलगांव रेलवे स्टेशन पर विंड ब्रेकिंग ताल की संस्थापना

ii) रेलवे स्टेशन और राष्ट्रीय राजमार्ग-80 के पूरे मार्ग पर रोज पानी का छिड़काव करना

iii) सिलों के नीचे ऐश बैरिंग मशीन की संस्थापना करना।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2439

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ

2439. श्री अम्बेथ राजनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संगठन/संघ की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ, यदि कोई मौजूद हो, के कार्यकरण को नियंत्रित करने संबंधी उप-नियमों/नियमों को विधिवत अनुमोदित और नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है;

(घ) क्या उनके कार्यकरण की निगरानी के लिए कोई तंत्र विद्यमान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं।

(ख) से (ङ) : उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2440
जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के मुद्दे पर 'सार्क' संरचना
अभिसमय

2440. श्रीमती वंदना चव्हाणः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के मुद्दे पर 'सार्क' संरचना अभिसमय को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) क्या उक्त समझौते में पूरे क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रिड के एकीकृत परिचालन का निर्माण किया जाना सम्मिलित है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप भारत से अधिक मात्रा में विद्युत का निर्यात होगा जबकि इस देश की बड़ी आबादी अभी भी बिजली से वंचित है; और

(घ) क्या इस समझौते के दायरे में नवीकरणीय ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया जाना भी सम्मिलित है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत ने 26 से 27 नवंबर, 2014 को नेपाल में आयोजित 18वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान "सार्क फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर एनर्जी को-ऑपरेशन (इलेक्ट्रिसिटी)" पर दिनांक 27.11.2014 को हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) : यह करार पूरे क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रिड के समेकित प्रचालन को सुविधाजनक बनाएगा।

(ग) : यह करार संबंधित सदस्य देशों के कानूनों, नियमों और विनियमों के अधीन सार्क सदस्य देशों के बीच स्वैच्छिक आधार पर सीमा-पार विद्युत के व्यापार को सक्षम बनाएगा। सीमा-पार विद्युत व्यापार अल्प अवधि से दीर्घ अवधि की समय-सीमा में एक सदस्य देश से दूसरे सदस्य देश (देशों) को अधिशेष विद्युत के अंतरण को सुविधाजनक बनाएगा।

(घ) : इस करार में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास और ग्रिड के समेकन के अन्य बातों के साथ-साथ सदस्य देशों को जानकारी साझा करने तथा संयुक्त अनुसंधान हेतु सक्षम बनाने का प्रावधान शामिल है।

****